कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु 'उच्च शक्ति प्राप्त समिति'(हाई पावर कमेटी) की

तृतीय बैठक का कार्यवृत्त
दिनांकः 12 जुलाई, 2017

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 'उच्च शक्ति प्राप्त समिति'(हाई पावर कमेटी) की तृतीय बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2017 को उनके बहुखंडी स्थित सभाकक्ष में अपराहन 12.00 पर सम्पन्न हुई।

1. बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही।

क्र0	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री राजप्रताप सिंह	कृषि उत्पादन आयुक्त	उत्तर प्रदेश शासन
2	श्री चंचल कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव	पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0
3	श्री जे0बी0 सिंह	विशेष सचिव	पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0
4	श्री गोबिन्द राजू एन.एस.	विशेष सचिव	ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0
5	श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव	विशेष सचिव	वित्त विभाग विभाग, उ0प्र0
6	श्री रामनगीना मौर्य	संयुक्त सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, उ0प्र0
7	श्री विजय किरन आनन्द	निदेशक	पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0
8	श्री आर.एन.एस. यादव	अपर निदेशक, (प्रशासन)	आई.सी.डी.एस, उ0प्र0
9	श्री अरविन्द ढाका	अपर निदेशक	नियोजन विभाग, उ0प्र0
10	श्री एस.एन.सिंह	उप निदेशक(पं0)	पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0
11	श्री संतोष कुमार	उप निदेशक	आई.सी.डी.एस, उ0प्र0

2. सम्यक विचारोपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

एजेण्डा बिन्दु	बैठक में लिए गए निर्णय
एजेण्डा बिन्दु-1- हाई पावर कमेटी की द्वितीय बैठक-07 नवम्बर, 2016 की कार्यवाही की पुष्टि एवं बैठक में लिए गए निर्णयों के परिपालन की स्थिति।	
बिन्दु स0-1- हाई पावर कमेटी की द्वितीय बैठक-07 नवम्बर, 2016 की कार्यवाही की पुष्टि।	**माननीय कमेटी द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

बिन्दु स0–2– हाई पावर कमेटी की द्वितीय बैठक–07 नवम्बर, 2016 में लिए गए निर्णयों के परिपालन की स्थिति।

कमेटी की द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय।	**निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।**	
एजेण्डा बिन्दु–2– ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये जाने में आ रही कठिनाइयों/ समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा।	1. निर्माण कार्यों में आगणन तैयार किये जाने में आ रही कठिनाइयों/समस्याओं के संबंध में विचार–विमर्श हेतु दिनांक 22.09.2016 को बैठक का आयोजन किया गया। 2. जिला पंचायत तथा मण्डी परिषद के अवर अभियंताओं को ग्राम पंचायतों के कार्यों का तकनीकी प्राक्कलन बनाने एवं मापन हेतु नामित किये जाने संबंधी आदेश शासनादेश संख्या–5/2017/158/33–3–2016–10 जी. आई./2015 दिनांक 23 जनवरी, 2017 तथा संख्या–11/2017/423/33–3–2017–10 जी.आई./2015 दिनांक 21 मार्च, 2017 द्वारा जारी किये जा चुके है। 3. 14वें आयोग के अन्तर्गत मानव संसाधन की उपलब्धता का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है तथा नवीन प्रस्ताव शासन को भेजे जाने हेतु कमेटी से विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ **एजेण्डा बिन्दु–4** पर प्रस्तावित है।	माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।
एजेण्डा बिन्दु–3– ग्राम पंचायतों के कार्य एवं कार्ययोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा में बढोत्तरी करने पर चर्चा।	जी0पी0डी0पी0 अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को प्रदत्त मानदेय की सीमा बढाये जाने सम्बन्धी शासनादेष संख्या–3/2016/3038/33–1–2016 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 जारी किया जा चुका है।	
एजेण्डा बिन्दु–4– ग्राम पंचायत विकास योजना में वर्णित कार्य एवं कार्ययोजना की स्वीकृतियों में ग्राम पंचायतों को आ रही समस्याओं एवं उसके निराकरण पर चर्चा।	ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित ग्राम पंचायत विकास योजना (कार्ययोजना) की सभी वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजना पर ग्राम सभा द्वारा ही प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्यों की प्रशासनिक/तकनीकि/वित्तीय स्वीकृति तथा उनके प्राक्कलन एवं मापन से सम्बन्धित व्यवस्था संबंधी शासनादेश संख्या–5/2017/158/33–3–2016–10 जी.आई./2015 दिनांक 23 जनवरी, 2017 तथा संख्या– 11/2017/423/33–3–2017–10 जी.आई./2015 दिनांक 21 मार्च,2017 द्वारा जारी किये जा चुके है।	

एजेण्डा बिन्दु–2– वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रगति स्थिति पर चर्चा।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) संक्षिप्त परिचय–

- ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) "हमारी योजना हमारा विकास" को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015–16 से लागू किया गया हैं।
- ग्राम पंचायतो की विकास योजना का उद्धेश्य ग्राम पंचायतो को सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास की दिशा में प्रगतिशील करना एवं समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के अन्तर्गत ग्राम सभाओं की बैठक के माध्यम से जनसमुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण कर, विभिन्न स्त्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा इस वर्ष, वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सॉफ्टवेयर–'प्लान–प्लस' पर अंकित जाता है। तत्पश्चात क्रियान्वयन से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर– 'एक्शन –सॉफ्ट' पर प्रत्येक वर्क आई. डी. के सापेक्ष तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की जानी है।

माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।

क्र.	गतिविधियॉ / कार्य	प्रगति स्थिति	
1	ग्राम पंचायतों के कार्य हेतु ग्राम पंचायत सचिवों को 8000 लैपटॉप की उपलब्धता।	समस्त 8000 लैपटॉप की उपलब्धता पंचायत सचिवों को कराई जा चुकी है।	**माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।**
2	ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण।	1. ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत समस्त 75 जनपदों में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कराया जा चुका है जिसमें लगभग 1700 अधिकारियों / कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 2. 69 जनपदों में समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जा चुके है। जिससे लगभग 3.10 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। शेष 06 जनपद यथा– हाथरस, मैनपुरी, चित्रकूट, इटावा, औरेया, बलरामपुर)।	**माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।**
3	प्रशिक्षण धनराशि के उपभोग की प्रगति।	43 जनपदों द्वारा प्रेषित् धनराशि के सापेक्ष उपभोग निदेशालय को प्राप्त कराया गया है।	**1. माननीय कमेटी संज्ञानित हुई। 2. समिति द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में भेजे जा चुके प्रोविजल उपभोग प्रमाण–पत्र को**

			संज्ञान में लेते हुए ऑडिटेड उपभोग प्रमाण–पत्र 30 सितम्बर, 2017 से पूर्व प्रेषित् किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
4	राज्य स्तर पर द्वितीय चरण में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण।	उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा प्रिट में विभिन्न जनपदों के 378 मास्टर ट्रेनरों जून–जुलाई 2016 के मध्य प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।	माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।
5	कन्वर्जेंस पर राज्य स्तरीय इंटरडिपार्टमेंटल वर्कशाप।	1. विभाग द्वारा कन्वर्जेंस पर राज्य स्तरीय इंटरडिपार्टमेंटल वर्कशाप का आयोजन दिनांक 8–9 फरवरी, 2017 को लोहिया भवन में किया जा चुकी है। 2. उक्त वर्कशाप पर रिपोर्ट निदेशक, पं0रा0 को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा चुकी है।	माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।
6	ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण माड्यूल, टी0एन0ए0 एवं प्रोसेस डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण।	1. ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कर जनपदों को प्रेषित् किया जा चुका है। 2. गिरी विकास समिति द्वारा टी0एन0ए0 की ड्राफ्ट रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत की जा चुकी है। निदेशालय स्तर गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा रिर्पोट का अध्ययन कर संषोधन हेतु दिये गये सुझावों को रिर्पोट में सम्मिलित करते हुए फाइनल रिर्पोट की 200 प्रतियॉ निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु गिरि अध्ययन विकास संस्थान को पत्र भेजा जा चुका है। 3. ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रोसेस डाक्यूमेंट्री फिल्म में ऑडियो/विजुअल इफेक्ट तथा मुख्य सचिव एवं निदेशक महोदय के इंटरव्यू को सम्मिलित करते हुए अन्तिम रूप दिया जायेगा।	माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।
7	अन्य राज्यों में जनप्रतिनिधियों का एक्पोजर विजिट।	1. केरल राज्य में नियोजन प्रक्रिया पर अपर निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. के नेतृत्व में 13 सदस्यों द्वारा एक्पोजर विजिट किया जा चुका है।	माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।

		2. सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनजमेंट एवं खुले में शौच मुक्ति पर इनोवेशन हेतु तेलगांना राज्य में कार्यकारी निदेशक, टी.एस.आई.पार्ड को प्रस्ताव प्रेषित् किया जा चुका है।	
8	स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार 25 डी.पी.आर.सी. का संचालन।	25 डी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु निर्देश एवं धनराशि निर्गत की जा चुकी है। जनपद कानपुर, वाराणसी एव मेरठ मंडल द्वारा संचालन प्रगति की कार्यवाही निदेशालय को प्राप्त कराई जा चुकी है।	**माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।**
9	10 जनपदों में डी.पी.आर.सी. का निर्माण।	1. 10 जनपदों में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जिला पंचायत को धनराशि रू0 2.00 करोड़ हस्तान्तिरत की जा चुकी है। 2. 6 जनपदों से डी.पी.आर.सी.निर्माण हेतु स्थल चयन सम्बंधी सूचना प्राप्त हो चुकी है, जबकि 4 जनपद आजमगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद एवं महोबा से अभी तक स्थल चयन की सूचना अप्राप्त है। 3. भूमि उपलब्धता सम्बंधी जनपदों को भेजे जाने वाले पत्र का अनुस्मारक आलेख शासन को प्रेषित् है। 4. समस्त जनपदों से फोन पर वार्ता भी की जा चुकी है एवं लगातार फालोअप किया जा रहा है। 5. आगणन एवं मानकीकरण पर लोक निर्माण के सुझावों को पुनः ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के चीफ इंजानियर के कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।	**1. माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।** **2. कमेटी द्वारा वर्ष 2017–18 से जनपदों द्वारा डी. पी.आर.सी. स्थल चयन के पश्चात् ही धनराशि हस्तान्तरित करने के निर्देश प्रदान किए, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वर्ष 2016–17 में जिन जनपदों से स्थल चयन की सूचना प्राप्त नही हुई है, वहॉ के सम्बन्धित जिलाधिकारी से वार्ता कर तत्काल कार्यवाही पूर्ण की जाए।**
10	पी.ई.एस. के कियान्वयन हेतु अन्य सहयोगी गतिविधियों का आयोजन।	• वर्ष 2016–17 में 99.9 प्रतिशत कार्ययोजनाओं को प्लान–प्लस पर अपलोड किया जा चुका है। • वर्ष 2017–18 में लगभग 14000 ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को प्लान–प्लस पर अपलोड किया जा चुका है।	

		• दिनांक 23–24 जून 2016 में राज्य स्तर पर प्लान–प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर 850 खण्ड स्तरीय कम्प्यूटर आपरेटरों का प्रशिक्षण का आयोजन। • दिनांक 4–5 जुलाई 2016 को, 790 ए0डी0ओ0(पं0)/ ग्राम पंचायत सचिवों का प्लान–प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। • जी0पी0डी0पी प्रकिया एवं मॉडल ग्राम पंचायत विकसित किए जाने हेतु स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों का एक दिवसीय परामर्शीय कार्यशाला दिनांक 12 अगस्त 2016 को आयोजित। • योजनान्तर्गत एन0आई0सी0 में हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी है जिसके द्वारा जनपदों में साफ्टवेयर सम्बन्धी समस्त समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। • दिनांक 09 सितम्बर 2016 को जी0पी0डी0पी0 एवं प्लान–प्लस पर प्रदेश के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।	माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।

एजेण्डा बिन्दु–3– वर्ष 2017–18 की अनुमोदित कार्ययोजना में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु भारत सरकार से अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा।

योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु 162.77 करोड़ का प्रस्ताव मई माह में भारत सरकार को प्रेषित् किया गया था जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मई, 2017 की सी.ई.सी. बैठक में धनराशि रू0 125.84 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

<u>Budget Summary (2017-18) – Uttar Pradesh</u> (धनराशि रू0 लाख में)

Sl.	Component	Proposed Plan (Rs. in lakh)	Amount approved by CEC (Rs. in lakh)
1	**GPDP Training 2016-17**	575.181	-
2	Capacity Building carry over GPDP & non-GPDP activities	5885.34	4575.91 (GPDP-4502.02+ NON GPDP-73.89)

3	Capacity Building new GPDP & non-GPDP activities	4980.24	4798.49 (GPDP-4057.8+ NON GPDP-740.69)	
4	**Institutional astructure**	3000		
5	SPRC & Construction of DPRC	28.8	1600.00 (For 8 DPRC)	
6	Recurring cost of 25 DPRC	270	250.00	
5	**Innovative activity**	-		
a	Human Development Index (HDI)		5.00	
b	Social Audit		8.25	
c	Performance Audit		25.00	
7	HR cost of E-Governance (TSG)	609.2	609.2	
8	Sub Total (from 1 to 7)	**15348.761**	**11871.85**	माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।
9	IEC 1% of total cost (1% of S.No. 8)	153.487	118.7185	
10	Sub Total (Total of 8 + 9)	**15502.24**	-	
11	PMU (5% of S.No.10)	775.112	593.5925	
12	Total Cost	**16277.361**	**12584.16**	

Activities in detail-

Sl.	Activity	No.	Days	Unit cost	Amount (Rs. In Lacs)
A	**CB- GPDP training (carry over activity) 2016-17**				
1	2 days orientation for newly ERs about GPDP & PR system	450202	2	500	4502.02
B	**CB- other than GPDP training (carry over activity) 2016-17**				
1	Training of block level computer operators on PES application at district level	1642	6	750	73.89
C	**CB- GPDP training (New activity 2017-18)**				
1	Field Functionaries of RD/PR (One day refresher training of Secretaries at district level on GPDP)	12000	1	750	90
2	Two days State level training of all DDs an DPROs at State level on GPDP and integration of SDG in GPDP	120	2	1850	4.44
3	One day refresher training of block functionaries (BDOs & ADOs) for GPDP	1642	1	750	12.31
4	Training of PPT/WG/TF-(For involving GP active members in	295365	2	500	2953.65

	GPDP planning				
5	State level refresher ToT of Master/ trainers for GPDP	300	4	1850	22.2
6	State level refresher training of SRG members on GPDP	150	2	1850	5.55
7	State level one day orientation of District Magistrates on GPDP	75	1	1850	1.38
8	State level one day orientation of CDOs on GPDP	75	1	1850	1.38
9	Training of **District level** Resource Group members. 500 members from each district	37500	3	750	843.75
10	One day State level Consultative workshop with Education Institutions and Universities for conforming role in GPDP plan preparation	80	1	1850	1.48
11	One day experience sharing workshop with DDs & DPROs	120	1	1850	2.22
12	One day **District level** experience sharing workshop with Functionaries/ Media/ political leaders etc. on GPDP. Approx. 80 participants in each workshop.	6000	1	750	45
13	Two days refresher training of Division/District Programme Manager on GPDP and Integration of SDG in GPDP	120	2	1850	4.44
14	Development of Training Modules (Upto 5 lakh per State/ per year)	1			5
15	Development of Training Material including film and electronic material (Upto 10 lakh per State/ per year)	1			10
16	Evaluation of training (Upto 5 lakh per State/ per year) Evaluation of GPDP training	1			5
17	Exposure visits outside State (Five exposure visit having 20 members in every batch)	100	5	1000 0	50
	Total				**4057.8**

अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु निम्न रणनीति प्रस्तावित है:–

1. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेन्डर में निर्धारित प्रशिक्षणों का अनुमोदन माहवार निदेशक, पं0रा0, उ0प्र0 से कराते हुए तय समय–सीमा में समस्त प्रशिक्षणों को किया जायेगा।
2. राज्य स्तरीय समस्त कार्यशालाएं पंचायती राज विभाग, लोहिया भवन में प्रिट के माध्यम से तथा जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से की जाएगीं।
3. राज्य, जनपद एवं खण्डस्तरीय समस्त प्रशिक्षण कार्य स्टेट रिसोर्स ग्रुप एवं

जनपद रिसोर्स ग्रुप द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित रिसोर्स सेंटरों के माध्यम से मंडल/ जनपद/खण्ड स्तर पर कराए जाएगें। इस कार्य में जनपद में कार्यरत गाम्य विकास संस्थानों के राज्य, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय संस्थानों का भी सहयोग लिया जायेगा।

4. तकनीकी प्रशिक्षण का कार्य तकनीकी दक्ष संस्थाओं/रिसोर्स पर्सन का सहयोग लेते हुए जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत कार्यरत डी.पी.एम. की सहायता से कराया जाएगा।
5. मंत्रालय द्वारा प्राप्त सुझावों के अनुसार क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आधार–बेस्ड आई.डी. से जोड़ जाना अपेक्षित् है।
6. ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित करने एवं ग्राम पंचायतों में योजना निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु प्रमुख रिसोर्स संस्थानों– नेहरू युवा केन्द्र/ आर्ट ऑफ लिविंग/वाटर एड/उत्कृष्ट एन.जी.ओ. को स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के अनुरूप विकसित चरणबद्व प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
7. 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत खण्ड स्तर पर तैनात होने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य भी उनकी तैनाती के पश्चात् प्रशिक्षित स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

एजेण्डा बिन्दु–4–14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं तकनीकी मद की धनराषि से आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों को रखे जाने एवं अन्य व्यवस्था के प्रस्ताव पर चर्चा।

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से सभी ग्राम पंचायतों में केन्द्र वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं में हस्तान्तरित धनराशि के प्रबल अनुश्रवण पर बल देते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में समस्त उपलब्ध एवं अनुमानित धनराशि का समेकितकरण करते हुए वार्षिक कार्ययोजना (ग्राम पंचायत विकास योजना) विकसित करने के पश्चात् ही कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है। इस प्रकार विकसित की गयी ग्राम पंचायत विकास योजना को भारत सरकार के सॉफ्टवेयर प्लान प्लस वी 2 पर ऑनलाइन कर एक्शनसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की यूनिक वर्क आईडी विकसित करते हुए प्रियासॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर वित्तीय प्रगति अंकित की जानी है, जिससे कि ग्राम पंचायतों को कार्य आधारित एकाउन्टिंग की ओर प्रोत्साहित किया जा सके।

- 14वें वित आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को पॉच वर्षो में (वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक) धनराषि रू0 48826.22 करोड़ हस्तान्तिरत की जानी है। अब तक ग्राम पंचायत को धनराषि रू0 13850 करोड़ हस्तान्तिरत की जा चुकी है।
- इस प्रकार औसतन प्रति ग्राम पचांयत को पॉच वर्षो में धनराषि रू0 17 लाख हस्तान्तिरत की जानी है। वर्षवार हस्तान्तिरत धनराषि का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	केन्द्र वित्त आयोग (करोड़ में)			राज्य वित्त आयोग (करोड़ में)	कुल (करोड़ में)	औसत धनराशि प्रति ग्राम पंचायत (लाख
	बेसिक	परफारमेंस	कुल			

						में)
2015–16	3862.60	0.00	3862.60	2137.50	6000.910	10.16
2016–17	5348.45	701.57	6050.02	2351.25	8401.27	14.22
2017–18	6179.65	793.92	6973.57	2586.38	9559.95	16.18
2018–19	7148.74	901.6	8050.34	2845.01	10895.35	18.44
2019–2020	9659.47	1180.57	10840.04	3129.51	13969.55	23.65
कुल योग	**32198.91**	**3577.66**	**35776.57**	**13049.65**	**48826.22**	**82.65**

इस प्रकार गत् वर्ष 2016–17 में सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड की गयी एवं एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से 17.34 लाख वर्क आईडी भी विकसित की गयी, परन्तु तकनीकी मानव संसाधन की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान समय में केवल लगभग 1.66 लाख वर्क आईडी पर ही कार्य किया जा सका है एवं वित्तीय प्रगति केवल लगभग रू0 768 करोड़ ऑनलाइन दर्ज की जा सकी है। कार्यों का प्रक्लन, कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एवं मापन हेतु तकनीकि मानव संसाधन की उपलब्धता अनिवार्य है साथ ही साथ बेहतर प्रबन्धन एवं पारदर्शिता को बढाने हेतु विभिन्न सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की उपलब्धता भी आवष्यक हो गयी है। खण्ड स्तर पर 14वें वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में एकत्रित धनराशि का लेखा प्रबन्धन एवं वित्तीय परामर्ष हेतु लेखाकार की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी 18 फरवरी, 2016 के मार्ग निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों के तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता हेतु मानव संसाधन की सेवायें उपलब्ध करायी जानी हैं। मार्ग निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों के सहायतार्थ विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रकार से सेवायें दिये जाने का प्राविधान किया गया है:–

क्र. सं.	खण्ड स्तर	खण्ड स्तर पर मानव संसाधन	न्याय पंचायत स्तर पर	न्याय पंचायत स्तर पर मानव संसाधन
1.	02 अवर अभियन्ता	1642	01 पंचायत सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर	8135
2.	01 कम्प्यूटर आपरेटर	821	01 चौकीदार	8135
3.	01 एकाउन्टेन्ट	821		
	कुल योग	**3284**	**कुल योग**	**16270**

विभाग द्वारा शासन को उपरोक्त क्रम में भर्ती हेतु 02 प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं। दोनो प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैं:–

क्र. सं.	पूर्व प्रस्ताव	नवीन प्रस्ताव
1	**मानव संसाधन का विवरण**	
क	**पद नाम** –अवर अभियन्ता (जेई)	**पद नाम** –अवर अभियन्ता (जेई) **स्तर**– खण्ड स्तर

1. माननीय कमेटी संज्ञानित हुई।

2. कमेटी द्वारा सर्वसहमति से 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत दिनांक 18 फरवरी, 2016 से निर्गत शासनादेश सं0 234/33–3–2016–2/2016 के अनुरूप ही मानव संसाधन की सेवा लिये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

3. कमेटी ने विभाग द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम पंचायतों की सहायता हेतु खण्ड/ न्याय पंचायत स्तर पर मानव संसाधन की सेवा लिये जाने पर विचार करते हुए सहमति प्रदान की।

4. समिति द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई कि खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर प्रस्तावित मानव

	स्तर– खण्ड स्तर **संख्या**– प्रति खण्ड 02 **शैक्षिक योग्यता**– डिप्लोमा सिविल एवं कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य **अनुभव**– शून्य **मानदेय**– रू0 8000 प्रतिमाह **कुल पद**– 1642	**संख्या**– प्रति खण्ड 02 **शैक्षिक योग्यता**– डिप्लोमा सिविल/बी0टेक सिविल एवं कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य **अनुभव**– 07 वर्ष (डिप्लोमा सिविल हेतु)/03 वर्ष (बी0टेक0 सिविल हेतु) **मानदेय**– रू0 20000 प्रतिमाह **कुल पद**– 1642	**संसाधन की सेवाएं जनपदों में सेवा प्रदाता संस्थाओं से अनुबंध करके ली जाए।** **5. सेवा प्रदाता संस्थाओं के चयन एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु ई–टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए गए।**
ख	**पद नाम** –एकान्टेन्ट कम कम्प्यूटर ऑपरेटर **स्तर**– खण्ड स्तर **संख्या**– प्रति खण्ड 01 **शैक्षिक योग्यता**– बी0कॉम0 एवं नायलेट सी0सी0सी0 अथवा समकक्ष **मानदेय**– रू0 8000 प्रतिमाह **कुल पद**– 821	**पद नाम** –एकान्टेन्ट **स्तर**– खण्ड स्तर **संख्या**– प्रति खण्ड 01 **शैक्षिक योग्यता**– बी0कॉम0 एवं नायलेट सी0सी0सी0 अथवा समकक्ष **अनुभव**– 03 वर्ष **मानदेय**– रू0 15000 प्रतिमाह **कुल पद**– 821	
ग	शून्य	**पद नाम** – कम्प्यूटर ऑपरेटर **स्तर**– खण्ड स्तर **संख्या**– प्रति खण्ड 02 **शैक्षिक योग्यता**– इण्टरमीडिएट एवं नायलेट सी0सी0सी0 अथवा समकक्ष **अनुभव**– 03 वर्ष **मानदेय**– रू0 9000 प्रतिमाह **कुल पद**– 1642	
घ	शून्य	**पद नाम** – पंचायत सहायक **स्तर**– खण्ड स्तर **संख्या**– लगभग प्रति खण्ड 06 **शैक्षिक योग्यता**– डिप्लोमा सिविल **अनुभव**– 03 वर्ष **मानदेय**– रू0 8000 प्रतिमाह **कुल पद**– 4926	
2	**भर्ती प्रक्रिया**		
	राज्य स्तर	जनपद स्तर से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वृहद कमेटी गठित करके। 1– जिला चयन समिति 2– जिला समीक्षा समिति	
3	**अन्य सहायक संसाधन**		
	शून्य	1– 02 कम्प्यूटर सिस्टम सहवर्ती उपकरणों के साथ। **क्रय प्रक्रिया**– आई0टी0 विभाग के दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के शासनादेश के अनुसार	

		2– फर्नीचर की व्यवस्थाः– 06 कुर्सी, 04 टेबल, 03 अलमारी, 02 पंखा प्रति खण्ड। **क्रय प्रक्रिया–** खण्ड स्तर से स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय नियमों के अनुसार।
4	**अन्य व्यवस्था**	
	शून्य	1– निदेशालय स्तर पर षिकायत निवारण सेल का गठन। 2– जनपद स्तर पर षिकायत निवारण सेल का गठन। 3– मॉडल निविदा, संविदा(एग्रीमेंट), विज्ञापन तैयार किया गया है। **संलग्नक–2 पर** उपलब्ध है।

भर्ती प्रक्रिया–जनपद स्तर से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ब्राड बेस्ड कमेटी गठित करके कार्य पूर्ण किया जाएगा।

1– जिला चयन समिति (अभियर्थियों के चयन की कार्यवाही)

2– जिला समीक्षा समिति (अभियार्थियों के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच कर चयन समिति को प्रस्तुत करेगी।)

परदर्शिता को बढ़ाये जाने हेतु अन्य व्यवस्था।

निदेषालय स्तर पर शिकायत निवारण सेल का गठन।

2– जनपद स्तर पर शिकायत निवारण सेल का गठन।

3– निदेशालय द्वारा मॉडल एन.आई.टी., माडल टेण्डर डाक्यूमेन्ट, विस्तृत जांब चार्ट, शौक्षिक योग्यता एवं अनुभव का विवरण समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– सेवा प्रदाता संस्था द्वारा जे. ई., पंचायत सहायक, लेखाकार के सापेक्ष 1 : 3 एवं कम्प्यूटर आपरेटर के सापेक्ष 1 : 5 के अनुपात में मानव संसाधन की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

5– चयनित संस्था द्वारा सेवा सम्बन्धी समस्त भुगतान खण्ड स्तर से किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त पूर्व प्रस्ताव को अवक्रमित करते हुए नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिस पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय भार प्रदेश सरकार द्वारा नही करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित मानव संसाधन की उपलब्धता से विभाग को निम्नलिखित लाभ भी हो सकेंगेः–

1. एम–एसेट मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग कर सभी ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों की जीओ टैगिंग फोटोग्राफ के साथ तीन महीने के अन्दर किया जा सकेगा।
2. ग्राम पंचायतों में पीएफएमएस प्रणाली को लागू कर पारदर्षिता को बढ़ावा एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत की कच्ची गलियों को पक्की किये जाने की ट्रैकिंग एक्षनसॉफ्ट एवं एम–एसेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सकेगा।
4. ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों की वर्क आइडी विकसित कर कार्य किया जा सकेगा।
5. ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत आंगनबाडी डेवलपमेन्ट प्लान के

अन्तर्गत निर्धारित कार्यों की वर्क आइडी विकसित कर कार्य किया जा सकेगा।

6. ग्राम पंचायतों के लिए रिर्सोस पूल एवं जनपदों के लिए रिर्सोस पूल तैयार किया जा सकेगा।

मानव संसाधनों के जाब चार्ट निम्नलिखित रूप से होंगे:–

क– अवर अभियन्ता विकास खण्ड स्तरीय:–

1. ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये बड़े प्रोजेक्ट/कार्यो के प्राक्कलन तैयार करना।
2. ग्राम पंचायतों के कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।
3. कराये गये कार्यो की एम0बी0 करना।
4. प्लान प्लस एवं एक्शन साफ्ट साफ्टवेयर पर प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण अपलोड कराना।
5. (अ) तकनीकी सहायकों का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना।

ख– पंचायत सहायक:–

1. ग्राम पंचायत के प्रोजेक्ट/कार्यो के प्राक्कलन तैयार करना।
2. प्लान प्लस एवं एक्शन साफ्ट साफ्टवेयर पर प्राक्कलन का विवरण अपलोड कराना।
3. पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत स्तर के कार्यो के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करना।
4. कराये गये कार्यो का एम0बी0 तैयार करना।
5. ग्राम पंचायत में परिसमपत्तियों की आवश्यकता हेतु पारिस्थितिक विशलेषण करना।

ग– कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था:–

1. विकास खण्ड के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना प्लान प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड करना।
2. एक्शन साफ्ट साफ्टवेयर पर कार्यो की भौतिक प्रगति दर्शाना, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के विवरण की इन्ट्री करना।
3. प्रिया साफ्ट साफ्टवेयर पर ग्राम पंचायतों के आय–व्ययक बाउचर्स की फीडिंग करना।
4. नेशनल एसेट्स डायरेक्ट्री पर इन्ट्री करना।
5. पंचायतों की वेबसाइट का कन्टेन्ट अपडेट करना।
6. राज्य सरकार के विभिन्न साफ्टवेयर ई–डिस्ट्रिक्ट, एस0एस0डी0जी0, आई0जी0आर0एस0 आदि पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) एवं पंचायत सचिव की सहायता करना।
7. सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा सौपें गये अन्य कार्य।

घ– एकाउन्टेट (लेखाकार)

1. विकास खण्ड स्तर पर एकत्रित तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि का लेखा का रख–रखाव करना।
2. सहायक विकास अधिकारी(पं0) कार्यालय में ग्राम पंचायतों के तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्रावलियों का नियमानुसार रख–रखाव करना।
3. क्षेत्र पंचायतों के वित्तीय बाउचरों को प्रिया साफ्ट, एक्शन साफ्ट एवं प्लान प्लस साफ्टवेयर पर नियमित अपलोडिंग कराना।

4. क्षेत्र पंचायतों के आय–व्यय की सप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करना और भारत सरकार के साफ्टवेयर की प्रगति रिपोर्ट से मिलान करना एवं उसकी समीक्षा कराना। 5. कार्यो की वित्तीय स्वीकृति में सहायक विकास अधिकारी(पं0) एंव खण्ड विकास अधिकारी को सलाह देना। अतः अन्य विभागों जैसें– ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की तरह 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मानव संसाधन के चयन एवं भर्ती प्रक्रिया का कार्य भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर किये जाने हेतु शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले नवीन प्रस्ताव पर समिति से अनुमोदन प्रस्तावित है।	
एजेण्डा बिन्दु–5– अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग/
उपाध्यक्ष, उच्च शक्ति प्राप्त समिति,
ग्राम पंचायत विकास योजना।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–3
संख्या–1580/33–3–2017–10 जी.आई./2015
लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2017

संख्या व दिनांकः– तदैव।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. श्रीमती शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0
5. समस्त सदस्यगण पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।